केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
जयपुर परिसर, जयपुर

क्रमांक: के.सं.वि.ज./प्रशा./2021-22/75 दिनांक: 19/04/2021

संशोधित आदेश-20

राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप-9) विभाग के पत्रांक: प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 18.04.2021 के अनुपालना में परिसर कार्यालय आदेश-19 दिनांक 19/04/2021 में आंशिक संशोधित करते हुए सभी प्राध्यापकों/मंत्रालयिक कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आदेश जारी होने की तिथि से दिनांक 03/05/2021 तक सभी प्राध्यापक अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित अध्यापन कार्य Work from Home करते हुए E-माध्यम से सम्पन्न करेंगे।

साथ ही सभी मंत्रालयिक कर्मचारी अपने विभाग से सम्बन्धित आवश्यक कार्य 50% उपस्थिति के साथ तथा शेष 50% कर्मचारी Work from Home करते हुए सम्पन्न करेंगे । NAAC, परीक्षा विभाग तथा लेखा विभाग से सम्बन्धित प्राध्यापक/कर्मचारी समयबद्ध कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

किसी भी प्राध्यापक/कर्मचारी को आवश्यक कार्य होने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पूर्व सूचना (Telephonic, Whatsapp, E-mail etc.) देने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा तथा पूर्व अनुमति के पश्चात् ही मुख्यालय त्याग करें।

सभी प्राध्यापक/कर्मचारी कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

(प्रो. अर्कनाथ चौधरी)
निदेशक

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सभी प्राध्यापक/कर्मचारियों को E-mail or Whatsapp पर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, के.सं.वि., नई दिल्ली।
3. उप-निदेशक, शैक्षणिक, के.सं.वि., नई दिल्ली।
4. उप-निदेशक, प्रशासन, के.सं.वि., नई दिल्ली।
5. परीक्षा नियंत्रक, के.सं.वि., नई दिल्ली।
6. प्रशासन विभाग, लेखा विभाग, पुस्तकालय, परीक्षा विभाग, छात्र अनुभाग, कार्यालय आदेश संचिका, सुरक्षित संचिका।
7. सुरक्षा प्रहरियों को सूचनार्थ।

कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour)

i. **मुंह को ढकना (Face Covering):** सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **''नो मास्क नो एन्ट्री''** की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।

ii. **सामाजिक दूरी** : सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानी (''2 गज की दूरी'') बनाये रखेगा। भीड़–भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में **सामाजिक दूरी** बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। इनकी कड़ाई से अनुपालना करवाई जावे।

iii. **बार–बार सैनिटाईजेशन करना** : सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार–बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

iv. **जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene) :** सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।

v. **सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है** और जुर्माने से दण्डनीय है।

vi. सार्वजनिक स्थानों पर **शराब, पान, गुटका, तम्बाकू** आदि का सेवन **निषिद्ध** है और जुर्माने से दण्डनीय है।

vii. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनिटाईजर का उपयोग करें।

viii. जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

ix. **फेस मास्क पहनना** एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, **सार्वजनिक और कार्य स्थलों** पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी कार्यवाही की जावे।